FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री पुष्पेन्द्र माली पुत्र दौलाराम, मु.पो. घाणेराव, तहसील देसूरी, जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) देसूरी

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 107/2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/09/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) देसूरी ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1472-73 20/9/19
4/10/19	तहसीलदार देसूरी से सूचना प्राप्त नहीं हुई है इस हेतु मोबाईल से सम्बन्धित लिपिक से वार्ता कर प्रस्तुत भिजवाने हेतु हिदायत दी गई। पत्रावली दिनांक 18/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
18/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देसूरी से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा तह० देसूरी को लिखा जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना रेकार्ड पर उपलब्ध सूचना की श्रेणी में नहीं होकर प्रश्नात्मक है। न ही लोक सूचना अधिकारी कोई सारांश निकाल कर सूचना देगा इस आधार पर अपी० का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। मातहत अदालत द्वारा मूल प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाने से इस अपील में इस स्तर पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपीलांट को सूचित किया जाकर पत्रावली खारिज फैसल की जाकर नत्थी रेकार्ड हो। जिला कलेक्टर, पाली	